समिति की आख्या का कार्यवृत्त

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी **पत्रांक 1091/IV-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated 05 May 2020** के अनुपालन में माननीय जनपद न्यायाधीश बागपत के आदेश संख्या आदेश संख्या 246 दिनांकित 07.08.2020 को समिति का पुनर्गठन किया गया है।

उक्त समिति से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के दृष्टिगत न्यायालयों द्वारा निष्पादित कार्य, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन की प्रतिपुष्टि **(Feed Back)** के संबंध में आख्या प्रतिदिन प्रस्तुत करने हेतु उक्त समिति को निर्देशित किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश संख्या **1117/ LXX XVII- CPC/ e-Courts/ Allahabad/ Dated 03 June 2020** के अनुपालन में समस्त अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिक कार्य सम्पादित करने के उददेश्य से दिशा निर्देश जारी किए गए है तथा जिला प्रशासन की सूचना के आधार पर जनपद न्यायालय परिसर बागपत व ग्राम न्यायालय परिसर बडौत रोकथाम वाले क्षेत्र **(Containment Zone)** में नहीं है। इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुक्रम में जनपद न्यायालय बागपत के समस्त अधीनस्थ न्यायालय संचालित किए जा रहे है तथा माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुक्रम में पूर्व में गठित उक्त समिति की आख्या पूर्व की भांति प्रतिदिन प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है।

उक्त आदेश के अनुपालन में आज **दिनांक 03/04/2021** को समिति की बैठक आहूत की गयी।

बैठक के दौरान यह तथ्य भी संज्ञान में आया है कि जनपद न्यायालय बागपत परिसर रोकथाम वाले क्षेत्र **(Containment Zone)** में नहीं है। उक्त बैठक में विचार विमर्श करते पाया गया कि जिला बार एसोसिएशन बागपत की ओर से अधिवक्तागण अपने-अपने कार्य हेतु न्यायालय में उपस्थित आ रहे है तथा सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जा रहा है।

न्यायालय परिसर की सैनिटाईजेशन प्रतिदिन करायी जा रही है तथा उक्त बिन्दु के संबंध में नजारत कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया है कि न्यायालय परिसर के सभी न्यायालयों की जिला चिकित्सालय द्वारा भेजे गए कर्मचारीयों के माध्यम से व नजारत में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण की मदद से प्रतिदिन सैनेटाईजेशन का कार्य कराया गया है। सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, वादकारियों व अधिवक्तागण की थर्मल स्कैनिंग व सैनेटाईजेशन तथा मास्क लगाए जाने व मास्क न होने पर मास्क का वितरण किया जा रहा है तथा नजारत अनुभाग के द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि केन्द्रीय नजारत में नियुक्त सफाई कर्मचारीगण से न्यायालय परिसर के न्यायालय, कार्यालय, न्यायिक अधिकारी के विश्राम कक्ष, अन्य कार्यालय, कम्प्यूटर कक्ष, प्रशासनिक कार्यालय, लेखा कार्यालय, नजारत आदि में सफाई, पोछा, एवं सेनेटाइजर से सफाई का कार्य कराया गया है। न्यायालय परिसर में प्रवेश करते समय न्यायिक अधिकारीगण व समस्त कर्मचारीगण की थर्मल स्कैनिंग की गयी है तथा अधिवक्तागण आदि जो भी न्यायालय में प्रवेश करते है उनकी भी थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। थर्मल स्कैनिंग करने हेतु न्यायालय के गेट संख्या 01 पर व गेट संख्या 02 पर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ दो डाक्टर एवं न्यायालय में कार्यरत दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण की ड्यूटी भी लगी हुई है।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जारी पत्रांक संख्या-**1117/ LXX XVII- CPC/ e-Courts/ Allahabad/ Dated 03 June 2020** के अनुपालन में समस्त अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिक कार्य सम्पादित करने के उददेश्य से दिशा निर्देश जारी किए गए है जिसके अनुपालन में जनपद न्यायालय बागपत की सभी कोर्ट संचालित की जा रही है।

माननीय जनपद न्यायाधीश, बागपत के न्यायालय में आज -- वाद नियत है। किसी भी वाद का निस्तारण नहीं हुआ है। -- प्रार्थनापत्र नियत थे जिनमें से -- का निस्तारण किया गया।

प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बागपत के न्यायालय से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आज 13 नये वाद संस्थित हुए है। न्यायालय में आज कुल 108 वाद नियत हैं। 04 वाद का निस्तारण किया गया।

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बागपत के न्यायालय से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आज 71 वाद नियत हैं। 00 वाद का निस्तारण किया गया।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), बागपत के न्यायालय से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आज सुनवायी हेतु वादों की संख्या 46 है। 02 वाद का निस्तारण हुआ। 04 प्रार्थनापत्र नियत है जिनमें से 01 का निस्तारण किया गया।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, बागपत के न्यायालय से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आज 41 वाद नियत है। 00 वाद का निस्तारण किया गया।

अपर जिला न्यायाधीश/ कोर्ट संख्या 03, बागपत के न्यायालय से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय में आज 81 वाद नियत है। 00 वाद का निस्तारण हुआ।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 04, बागपत के न्यायालय से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आज न्यायालय में 178 वाद नियत है। 00 वाद का निस्तारण किया गया।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-05, बागपत की न्यायालय से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आज 72 वाद नियत हैं। 04 वाद का निस्तारण किया गया।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय संख्या 01, बागपत के न्यायालय से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आज 36 वाद नियत है और 00 वाद का निस्तारण किया गया।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय संख्या 02, बागपत के न्यायालय से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आज 29 वाद नियत हैं। 00 वाद निस्तारण किया गया। 01 प्रार्थनापत्र नियत थे जिनमें से 00 का निस्तारण किया गया।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागपत न्यायालय से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आज न्यायालय में आज 479 वाद नियत थे। जिनमें से 00 का निस्तारण किया गया। 28 प्रार्थनापत्र नियत थे और 13 का निस्तारण किया गया। माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त पंत्राक-1122/ दिनांकित 12.6.2020 के अनुक्रम में बिन्दु संख्या-4 के अनुसार जनपद न्यायाधीश बागपत द्वारा पारित कार्यालय आदेश संख्या-187/16.6.2020 के अनुपालन में Virtual Court के माध्यम से सुनवायी की जा रही है।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागपत के न्यायालय से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आज 158 वाद नियत हैं। 00 वाद का निस्तारण किया गया। 06 प्रार्थनापत्र नियत थे जिनमें से 02 का निस्तारण किया गया।

सिविल जज सीनियर डिवीजन/ए.सी.जे.एम., बागपत की न्यायालय से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आज न्यायालय में 124 वाद नियत है। 00 वाद का निस्तारण किया गया। 02 प्रार्थनापत्र नियत थे जिनमें से 00 का निस्तारण किया गया।

अपर सिविल जज- सीनियर डिवीजन, बागपत के न्यायालय से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आज -- वाद नियत थे जिनमें से किसी का निस्तारण नहीं किया गया।

सिविल जज सी0डि0 (त्वरित न्यायालय) / ए0सी0जे0एम0, बागपत के न्यायालय से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आज -- वाद नियत हैं। कोई वाद निस्तारित नहीं किया गया हैं।

सिविल जज जू0डि0 डिवीजन/एफ0टी0सी0 बागपत, के न्यायालय से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार

न्यायालय में आज कोई नया दावा पेश किया नहीं गया है तथा न ही किसी वाद का निस्तारण किया गया।

सिविल जज जू0 डि0-प्रथम, बागपत के न्यायालय से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आज 41 वाद नियत है लेकिन 00 वाद निस्तारित हुए। 01 प्रार्थनापत्र नियत थे जिनमें से 00 का निस्तारण किया गया।

अपर सिविल जज जू0 डि0, बागपत के न्यायालय से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आज 38 वाद नियत था तथा कोई नया वाद प्रस्तुत नहीं हुआ तथा 00 वाद का निस्तारण किया गया।

सिविल जज जू0 डि0 द्वितीय/जे0 एम0, बागपत के न्यायालय से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आज 51 वाद नियत थे जिनमें से 00 का निस्तारण हुआ।

न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागपत के न्यायालय से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नियत वादों की संख्या 252 है, 03 वाद निस्तारित किया गया। 08 प्रार्थनापत्र नियत थे जिनमें से 06 का निस्तारण किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जारी पूर्वादेश अनुपालन में यह निर्देशित किया गया था कि प्रत्येक जनपद में **Jisti Server (Lan Version)** के एक या दो न्यायालय चिन्हित किए जाए। तदोपरान्त माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त पंत्राक- 1122/LXXIV(A)-CPC/eCourts/ Allahabad दिनांकित 12.6.2020 के अनुक्रम में बिन्दु संख्या-04 के अनुसार जनपद न्यायाधीश बागपत द्वारा पारित कार्यालय आदेश संख्या- 187/ 16.06.2020 के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागपत के न्यायालय का समस्त कार्य **Virtual Court** के माध्यम से सम्पादित किया जायेगा। जनपद न्यायालय बागपत में वर्तमान में रिक्त न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन /त्वरित न्यायालय के न्यायिक कक्ष संख्या-12 को **Virtual Court** के रूप में स्थापित किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागपत के न्यायालय में कार्य की अधिवक्ता, अधिवक्तागण एवं वादकरियों की अधिक संख्या में उपस्थित एवं वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुये मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागपत के न्यायालय का समस्त कार्य **Virtual Court** के माध्यम से सुनवायी/बहस की जायेगी। उक्त आदेश का अनुपालन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागपत द्वारा किया जा रहा है। जनपद न्यायालय बागपत में अधिवक्तागण स्वयं न्यायालय परिसर में आकर सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए अपने अर्जेन्ट प्रार्थनापत्र/जमानत प्रार्थनापत्रों की सुनवायी/बहस मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागपत के न्यायालय में कर रहे है तथा जनपद न्यायालय बागपत में समस्त कार्यवाही न्यायालयों के बाहर सोशल डिस्टेसिंग का पूर्ण रूप से पालन करने के लिए गोले बनाये गये है जिससे अधिवक्तागण द्वारा सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने में सुविधा हो सके।

न्यायालय में उपलब्ध सुविधा/ संशाधनों द्वारा जनपद न्यायालय बागपत में अन्य न्यायिक कार्य सम्पादित किए जाने की संभावना के संबंध में उक्त समिति की बैठक के दौरान मेरे द्वारा यह पाया गया कि चूंकि जनपद न्यायालय परिसर, बागपत व ग्राम न्यायालय परिसर बडौत रोकथाम वाले क्षेत्र में **(Containment Zone)** में नहीं है तथा संचालित न्यायालयों में अधिवक्तागण की उपस्थिति को देखते हुए यह तथ्य संज्ञान में आता है कि अधिवक्तागण कार्य करने में रूचि ले रहे है तथा पीठासीन अधिकारीगण द्वारा अर्जेन्ट एप्लीकेशन/ बेल एप्लीकेशन व अन्य वादों का निस्तारण भी किया जा रहा है तथा अन्य मामलों में तारीखें भी दी जा रही है एवं बहस भी सुनी जा रही है तथा वादों की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त कुछ पीठासीन अधिकारीगण द्वारा निर्णय भी पारित किए जा रहे है। अतः उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अन्य न्यायालयों का कार्य जारी रखना उचित प्रतीत होता है।

Feed back :

Shri Avadh Bihari Singh Ist Addl. Distt. and session Judge, Baghpat Session Clerck Shri Vikash Kumar Vishnoi, Shri Ramroop Yadav and Ravindra Kumar Ivth Class Employee and Shri Aman Kumar practising Advocate clerk have been tested positive in the random testing drive held in the campus today. Environment of fear and trauma is prevaling in the campus since then. The discussion over the fatality and mortality of the newer double mutant strain of Covid-19 talk of the town throughout the day.

Lawyers are appearing and litigants attending the Courts but, due to apprehension owing to increasing cases of Covid-19 in and around, the appearance is thin and barest minimal. The work environment in the campus does not inspire confidence.

Spot inspection was made in the campus as well as at the entrance in the premises and appropriate directions were issued.

Security and strict compliance of thermal scanning as well as sanitization is being ensured.

Recommendation has been made for intense sanitization in the campus for two full days i.e. 14th and 15th of April 2021 so as to avert any untoward happening in the campus.

आख्या श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रेषित है।

Shailja Rathi

(श्रीमती शैलजा राठी)
सदस्य समिति
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट
(एक्सक्लूसिव कोर्ट), बागपत।

13/4/21

(शैलेन्द्र पाण्डेय)
अध्यक्ष समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश
एस.सी./एस.टी.एक्ट, बागपत।